

an>

Title: Need to scrap the amendment made by the Government of Jharkhand on Chhotanagpur Tenancy Act (CNT) and Santhal Parganas Tenancy Act (SPT).

**श्री जितेन्द्र चौधरी (निपुण पूर्व) :** महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि झारखंड में संथाल रेबेलियन हुआ था। इस रेबेलियन के तहत वहाँ सन् 1908 में छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट बना था। उसके बाद सन् 1949 में वहाँ संथाल परगना एक्ट बना था। 23 नवंबर को वहाँ की सरकार ने इन दोनों एक्ट्स में सुधार किए हैं। इसमें आदिवासियों को जंगल, कृषि और पानी के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। इसको डायवर्ट कर के इसके एक्जुजिशन और कर्मशियल यूज के लिए इस एक्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

महोदय, इसके साथ ही साथ वहाँ ग्राम सभा का जो प्रावधान है, उसकी पूरी जिम्मेदारी डी.सी. के हाथों में सौंप दी गई है। वहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

महोदय, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह अनुरोध करूँगा कि वह इसे नॉलेज में ले और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके सुधार के लिए जो बिल उठाया है, उसे वह एडॉप्ट करे। वहाँ जमीन और जंगल के रूप जो आदिवासियों के अधिकार हैं, उन्हें रीस्टोर किया जाए। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया, तो आदिवासियों को बहुत नुकसान होगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta is permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

**माननीय सभापति :** श्री प्रवेश साहिब सिंह जी।